UPUN010033472026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव

जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1411/2026

शाहरूख पुत्र रफीक निवासी बकोठी थाना अरौल जनपद कानपुर नगर।

————————अभियुक्त।

प्रति

राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उन्नाव।

————————विपक्षी।

08.06.2026

अभियुक्त शाहरूख की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–286/2025 अन्तर्गत धारा–109(1) बी0एन0एस0 थाना–बेहटामुजावर, ज़िला उन्नाव में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

वादी थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार द्वारा थाने में प्रस्तुत फर्द बरामदगी के अनुसार दिनांक 29.10.2025 को वादी मुन्ना कुमार, थानाध्यक्ष मय पुलिस पार्टी के संदिग्ध व्यक्तियों व तलाश वांछित अपराधी एवं वाहन की चेकिंग में गोशाकुतुब नहर पुल पर मामूर थे। करीब 22.35 बजे बांगरमऊ की तरफ से एक मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति आते दिखायी दिये, जिनको रोकने का इशारा किया, मोटरसाईकिल चालक ने पीछे बैठे व्यक्ति को कहा कि पुलिस पकड़ लेगी इनको फायर मारो तो पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, जो उसके कान के पास से गुजरती हुयी गयी। उपनिरीक्षक नेम सिंह द्वारा आत्मरक्षा में अपनी सरकारी पिस्टल से पोजीशन लेकर मोटरसाईकिल सवार व्यक्तियों पर फायर कर दिया। पीछे बैठे व्यक्ति के बायें पैर में फायर लगने के कारण मोटरसाईकिल से नीचे गोसाकुतुब पुल से करीब 200 मीटर पर जमीन पर गिर गया। उसे पुलिस ने घेरकर पकड़ लिया, जिसने अपना नाम निसार उर्फ चॉद बताया, उसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, जिसकी नाल मे फसा एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस व 7520 रूपये, टेबलेट बरामद हुआ तथा मोटरसाईकिल चला रहा शाहरूख मोटरसाईकिल लेकर मौके से भाग गया। फर्द वादी द्वारा बोल–बोलकर कां0 रामनिवास अवस्थी से टार्चो की रोशनी में लिखकर, पढ़कर, सुनाकर तैयार की गयी तथा सर्व सम्बन्धित के अलामात बनवाये गये।

अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि वह निर्दोष है, उसे उपरोक्त मुकदमें में फर्जी फसाया गया है। वह जमानत की शर्तो का दुरूपयोग नहीं करेगा। उसका यह प्रथम प्रार्थना पत्र जमानत है। उक्त आधारो पर जमानत स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए उसे निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रो का अवलोकन किया।

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.06.08 16:45:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Unnao.

अभियोजन का तर्क है कि वर्तमान अभियुक्त शाहरूख के ललकारने पर सहअभियुक्त निसार उर्फ चॉद उर्फ छोटू द्वारा वादी/पुलिस कर्मचारीगण पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया है तथा अभियुक्त शाहरूख अंधेरे का फायदा लेकर मोटरसाईकिल सहित मौके से भाग जाने में सफल रहा है। पुलिस पर फायर करने की उक्त घटना के समय अभियुक्त शाहरूख के मौके पर उपस्थित होने तथा ललकारने के तथ्य को गिरफ्तारी के समय सहअभियुक्त निसार उर्फ चॉद उर्फ छोटू द्वारा बताया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दि0 30.10.2025 को दर्ज हुई। उसने कोई भी घटना कारित नहीं की है। उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। उसको फर्जी तौर पर मोटरसाईकिल चलाना कहा गया है। उसे फर्जी तौर से प्रकरण में संलिप्त किया गया है। उसको जबरन घर से उठाकर फर्जी तौर पर पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी बनाया है। केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि घटना दिनांक 29.10.2025 समय 22.35 बजे की है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30.10.2025 समय 02.20 बजे दर्ज करायी गयी है। जबकि घटना स्थल से थाने की दूरी 07 कि.मी. दर्शित की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार फायर आर्म्स की चोट किसी पुलिस कर्मचारी को आना नही बताया गया है। सह–अभियुक्त की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त का दिनांक 11.03.2026 के पूर्व कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त दिनांक 12.03.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर टीका–टिप्पणी किये बगैर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त शाहरूख द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–286/2025 अन्तर्गत धारा–109(1) बी0एन0एस0 थाना–बेहटामुजावर, ज़िला उन्नाव के मामले मे प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1411/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0–50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर, प्रस्तुत करने की स्थिति में, उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक–08.06.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
आई0डी0नं0–यू0पी0–6552
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।